न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-267Jodhpur2022-162 Nijamudin Vs Smt. Rupkanwar etc

निजामुदीन पुत्र रहीम बक्श, जाति मुसलमान धोबी,
निवासी- सदर बाजार, बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती रूपकंवर पत्नी भंवरसिंह, जाति राजपूत,
   निवासी- ग्राम खारिया सोढा,
   तहसील सोजत सिटी, जिला पाली।
2. श्रीमती मरूधरकंवर उर्फ मोहनकंवर पत्नी भंवरसिंह,
   जाति राजपूत, निवासी- पहाड़गंज द्वितीय, जोधपुर
   तहसील व जिला जोधपुर।
3. श्रीमती किरणकंवर पत्नी कुलदीपसिंह, जाति राजपूत,
   निवासी- सांडेराव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
4. श्रीमती नितेशकंवर पत्नी विक्रमसिंह, जाति राजपूत,
   निवासी- सियाणा, जिला जालोर।
5. श्रीमती सदाकंवर पत्नी सुखसिंह, जाति राजपूत,
   निवासी- ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा,
   जिला जोधपुर।
6. श्रीमती अणचीदेवी पत्नी कालुराम, जाति सीरवी,
   निवासी- ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाडा,
   जिला जोधपुर।
7. श्रीमती ज्ञानकंवर पत्नी रामसिंह, जाति राजपूत,
   निवासी- खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा,
   जिला जोधपुर।
8. कुमारी उषा पुत्री टिलाराम
9. कुमारी पिंकी पुत्री टिलाराम
10. कुमारी रवीना पुत्री टिलाराम (नाबालिग जरिये
    न्यायमित्र बहिन पिंकी)
    रेस्पोडेंट संख्या 8 से 10 जातियान् सीरवी,
    निवासी- ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा,
    जिला जोधपुर।
11. विजया बैंक शाखा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा,
    जिला जोधपुर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिलाड़ा,
    जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 31 मई 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 32/2022 श्रीमती रूपकंवर बनाम श्रीमती किरण कंवर इत्यादि

उपस्थित-

श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो- संख्या एक व दो
श्री मदन लाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6, 8 से 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12

नि र्ण य

दिनांक : 30 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 32/2022 श्रीमती रूपकंवर बनाम श्रीमती किरण कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 23 जून 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण-रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम खारिया मीठापुर स्थित आराजी खसरा नं. 208/1 रकबा 0.2193 हैक्टेयर, खसरा नं. 211/2 रकबा 0.1699 हैक्टेयर, खसरा नं. 217 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नं. 220/1 रकबा 0.3398 हैक्टेयर एवं खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

220/2 रकबा 0.3398 हैक्टेयर बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मई 2022 को उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया गया और प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की इकतरफा सुनवाई करते हुए अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 31 मई 2022 पारित करने में घोर कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित की गई है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अपने प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 में तहसीलदार बिलाड़ा का बंटवाड़ा आदेश दिनांक 19 अप्रेल1993 को सही माना है व सुखसिंह को बंटवाड़ा में प्राप्त भूमि में अपना हिस्सा होने की घोषणा एवं बेचाननामा को बेअसर घोषित किये जाने की इस्तदुआ की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से यह स्वीकृत तथ्य है कि बंटवाड़ा आदेश दिनांक 19 अप्रेल 1993 को जारी हुआ जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 1633 दिनांक 22 अप्रेल 1993 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाकर सुखसिंह को बंटवाड़ा में भूमि प्राप्त हुई है। उसके पश्चात सुखसिंह का देहांत होने पर फौतेदगी नामांतरकरण रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के नाम से स्वीकृत हुआ है और रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 द्वारा यह भूमि दिनांक 11 अगस्त 2005 को बेचान की जाकर भूमि का कब्जा खरीददार को सुपुर्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में भूमि का कब्जा सुपुर्द होने के पश्चात लम्बी अवधि तक कब्जा प्राप्ति के संदर्भ में कोई चाराजोही नहीं की गई न ही बेचाननामा को शून्य करार दिये जाने बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही की गई थी। विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट तथ्य थे कि भूमि का बंटवाड़ा सन् 1993 को हो गया, जिसको 30 साल की अवधि में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने चुनौती नहीं दी और भूमि का कब्जा सन् 2005 को पंजीबद्ध बेचाननामा के जरिये सुपुर्द कर दिया गया और कब्जा प्राप्ति एवं हक प्राप्ति के लिए 17 वर्ष तक चुनौती नही दी गई थी। इन सभी तथ्यो को नजरअंदाज कर परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मई 2022 को एकतरफा स्थगन आदेश पारित कर दिया जो काबिल खारिज है। प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो का प्रश्नगत कृषि भूमि के पर कोई हक व अधिकार व कब्जा नही है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के पक्ष में नहीं थे, जिसको नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो काबिल निरस्त है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 26 मई 2022 को खेत खसरा नं. 217 रकबा 0.5582 हैक्टेयर मौजा खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा मूल्यवान धन देकर भूमि को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलांट को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद प्रस्तुति के पूर्व से ही अपीलांट ने भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया था और अपीलांट एक सद्भाविक क्रेता है। अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने कारण अपील पेश की है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मई 2022 को निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा प्रार्थीगण-रेस्पोडेंट संख्या एक व दो स्व. माधुसिंह की पुत्रियां है जिनका वादग्रस्त आराजियात में पुश्तैनी आधार पर हक-हिस्सा बनता है। मगर राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड में बहनो का नाम दर्ज नहीं किया, इसलिए प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने हेतु विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट विचारण न्यायालय में विचाराधीन दावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पक्षकार ही नहीं है। इस कारण उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलांट अनुमति-बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6, 8 से 10 ने अधिवक्ता-अपीलांट के कथनो का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर सन् 2005 के बाद से प्रार्थीगण-रेस्पो.संख्या एक व दो का कब्जा-काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव के प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एवं दावा चलने योग्य नहीं है। अतः अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 26 मई 2022 के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलांट द्वारा रूपये 21 लाख रेस्पोडेंट संख्या 7 ज्ञान कंवर जरिये आम मुख्त्यार महावीर चन्द को मूल्यवाद प्रतिफल अदा कर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 217 रकबा 0.5582 हैक्टेयर दावा दायरी से पूर्व पंजीबद्ध विक्रय विलेख से खरीद की जाकर कब्जा प्राप्त किया जाना पाया जाता है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा दावा प्रस्तुति के समय अपीलांट को वाद एवं प्रार्थना पत्र में संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किया जाना पाया जाता है। अपीलांट सद्भाविक क्रेता होने तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 217 रकबा 0.5582 हैक्टेयर में हितबद्ध, प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दौरान बहस यह तथ्य प्रकट हुआ है कि दिनांक 19 अप्रेल 1993 को सुखसिंह व दीपसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष बंटवाड़ा करवाया गया, जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 1633 स्वीकृत किया गया तथा कालांतर में वादग्रस्त भूमि विभिन्न पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के जरिये हस्तांतरित होती रही है। जिससे प्रथमदृष्टया वादग्रस्त भूमि का कब्जा-काश्त प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक के पास नहीं होना प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यो पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। जहां तक वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने तथा उसके संबंध में वादीनीगण के निहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पुश्तैनी अधिकारों का प्रश्न है, इन बिन्दुओं बाबत मूल वाद में नियमानुसार विधिवत तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेष्ण के बाद ही विनिश्चयन किया जाना है। वर्तमान परिस्थितियों में अपीलांट वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 217 का सद्भाविक क्रेता एवं हितबद्ध खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित इकतरफा अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मई 2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को मामले में पक्षकार संयोजित करते हुए जबाब/अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर पक्षकारान की समुचित सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का 2 माह की अवधि में अंतिम निस्तारण करे। उभयपक्षकारान विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27 जनवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर